

# प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 30.06.2022

## सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, एवं 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक** जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्ग दर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के नेतृत्व में, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 27.06.2022 को घटित घटना जिसमें नाबालिग लड़की को दिन में 11 बजे के लगभग लड़की का सहपाठी मिलने के लिए बुलाया था और उक्त लड़की को बहला फुसलाकर जंगल सिकरी के पीछे जंगल में ले गया जहाँ नाबालिग लड़की के साथ उसका सहपाठी व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 253/2022 धारा 376डी भा0द0वि0 व 5 / 6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्र0नि0 थाना खोराबार व चौकी प्रभारी रामनगर करजहाँ व उनकी टीम को लगाया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 29.06.2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना खोराबार की टीम मुखबिरी सूचना पर देवरिया बाईपास पहुँची तो मुखबीर की निशानदेही पर अभियुक्तगण 1. विशाल यादव उर्फ भोलू यादव पुत्र अशोक यादव निवासी जंगल सिकरी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर 2. सुरेन्द्र पासवान पुत्र शत्रुधन पासवान निवासी जंगल सिकरी मिश्रा टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 21.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में एक बाल अपचारी का भी नाम प्रकाश में आया जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीम तैयार कर प्र0नि0 मय टीम के साथ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी के घर पर दबिश दी गयी जहाँ बाल अपचारी अपने घर पर मौजूद मिला बाल अपचारी उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 22.10 बजे पुलिस अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. भोनू यादव उर्फ विशाल यादव पुत्र अशोक यादव निवासी जंगल सिकरी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. सुरेन्द्र पासवान पुत्र शत्रुधन पासवान निवासी जंगल सिकरी थाना खोराबार, गोरखपुर
3. बाल अपचारी

### गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान:-

दिनांक 29.06.2022 समय 21.45 बजे देवरिया बाईपास थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 253/2022 धारा 376 डी भा0द0वि0 व 5 / 6 पाक्सो एक्ट थाना खोराबार गोरखपुर

### गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी टीम-

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक खोराबार गोरखपुर
2. उ0नि0 पंकज कुमार सिंह चौकी प्रभारी रामनगर कड़जहा
3. कां0 अनुराग सिंह थाना खोराबार गोरखपुर
4. कां0 आशुतोष मिश्रा थाना खोराबार गोरखपुर
5. कां0 मुकेश कुमार थाना खोराबार गोरखपुर
6. म0कां0 आस्था सिंह थाना खोराबार गोरखपुर